UPET010027502024

न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01, एटा।

उपस्थितः मनीषा (एच.जे.एस.) जे०ओ० सं०यू०पी० 6137

सत्र वाद संख्या–334 सन् 2024

उ०प्र० राज्य

प्रति

1. सौरभ यादव पुत्र सतेन्द्र सिंह निवासी नगला गलू थाना कोतवाली देहात, जिला एटा।

अ०सं०–849/2021
धारा–307, 323, 504 व 120 बी भा०द०स०
थाना कोतवाली नगर जिला–एटा।

संक्षिप्त विवरणः	
सत्र वाद संख्या	334/2024
मुकदमा अपराध संख्या	849/2021
अभियोजक	उत्तर प्रदेश सरकार
प्रतिनिधित्व	सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०)
अभियुक्त	सौरभ यादव
प्रतिनिधित्व	श्री बी०पी० सिंह एड०
घटना की तिथि	09–10–2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने की तिथि	09–10–2021
न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर लिए गये संज्ञान की तिथि	06–01–2022
सत्र सुपुर्दगी आदेश की तिथि	18–05–2024
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	26–07–2024
साक्ष्य प्रारम्भ करने की तिथि	13–08–2024
धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता का बयान की तिथि	27–02–2026
निर्णय की तिथि	02–04–2026
निर्णय परिणाम	दोषमुक्त

Digitally signed by MANISHA
Date: 2026.04.02 17:15:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निर्णय

1. उपरोक्त दाण्डिक वाद का आरम्भ वादिया मुकदमा पूजा पत्नी ओमप्रकाश द्वारा सम्बंधित थाने पर दी गयी गयी तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण कुनाल व अज्ञात के विरुद्ध थाना–कोतवाली नगर जिला–एटा पर मु०अ०सं०–849/2021 अंतर्गत धारा–323, 504, 506 भा०द०स०के अंतर्गत दर्ज किए जाने एवं बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त सौरभ यादव के विरुद्ध आरोप–पत्र धारा–307, 323, 504, 120 बी भा०द०स० के अंतर्गत प्रेषित किए जाने पर हुआ।
2. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी द्वारा इस आशय की तहरीर दी गई कि " उसका भाई अनुराग उर्फ गोलू पुत्र ओमप्रकाश निवासी कृष्ण' सेवा में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना कोतवाली विहार कालौनी आगरा चुंगी थाना को० नगर एटा आज दिनाँक 09–10–2021 को समय 12:15PM को उसके बच्चे निक्कू की दवा लेने आगरा रोड चुंगी पर उसे साथ लेकर गया था उसी समय उसके भाई के दोस्त कुनाल उर्फ आजाद पुत्र श्री अजय यादव निवासी नगला गलू थाना कोतवाली देहात एटा हाल निवासी लालपुर थाना कोतवाली नगर एटा का फोन आया कि लालपुर में गली मे है कुछ काम है वह भी अपने भाई के साथ गयी तो कुनाल उर्फ आजाद पुत्र अजय यादव निवासी नगला गलू थाना कोतवाली देहात एटा हाल निवासी लालपुर थाना कोतवाली नगर एटा ने उसके भाई अनुराग उर्फ गोलू को देखते ही गाली गलौज और मारपीट करने लगा फिर जान से मारने की नियत से तंमचे की बट से सिर में मारी फिर गोली मार दी जो उसके भाई की वांयी टांग मे लगी जो लोअर के जेब मे फोन में लगते हुये जाँघ मे लगी उसके साथ दो लडके और थे जिन्हे वह जानती नही उसका भाई पास के मकान मे बचने को घुसा तो वह लोग गालियाँ देते हुये भाग गये वह अपने भाई को लोगों की सहायता से जिला अस्पताल लाई जहाँ से उसे आगरा रैफर कर दिया है। जहाँ उसका इलाज चल रहा है। उसकी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।"
3. वादी मुकदमा द्वारा सम्बंधित थाने पर दी गयी तहरीर के आधार पर अभियुक्त कुनाल व 1 अज्ञात के विरुद्ध थाना–कोतवाली नगर जिला–एटा पर मु०अ०सं०–849/2021 अंतर्गत धारा–323, 504, 307 भा०द०स० दिनांक 09–10–2021 को समय 22:01 बजे मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसका खुलासा रपट सं०–51 समय 22.01 बजे किया गया।
4. मुकदमे की विवेचना निरीक्षक दयाशंकर सिंह द्वारा प्रारम्भ की गयी। उनके द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया। वादी तथा गवाहों के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० अंकित किए गए। विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्त सौरभ यादव के विरुद्ध आरोपपत्र धारा–307, 323, 504, 120 बी भा०द०स०प्रेषित किया गया। जिस पर दिनांक 06–01–2022 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया और मामला सत्र

न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाते हुए सम्बन्धित अवर न्यायालय द्वारा दि० 18–05–2024 को सत्र सुपुर्द किया गया जो सत्र वाद संख्या 334/2024 राज्य बनाम सौरभ यादव के रूप में दर्ज हुआ।

5. विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दि० 20–07–2024 को अभियुक्त सौरभ यादव पर धारा–307, 323, 504, 120 बी भा०द०स० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया, अभियुक्त ने दोषी होने के अभिवचन से इंकार किया एवं परीक्षण की याचना की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये हैं:

क्र.स.	साक्षीगण	अभियोजन साक्षी का नाम
01.	पी०डब्लू–1	वादिया मुकदमा पूजा यादव
02.	पी०डब्लू–2	अनुराग यादव
03.	पी०डब्लू–3	आदित्य कुमार

7. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित प्रलेखीय साक्ष्य दाखिल की गयी है:

क्र.स.	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श
01.	तहरीर वादिया	प्रदर्श क–1
02.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–2
03.	जी०डी०कायमी	प्रदर्श क–3
04.	नक्शानजरी	प्रदर्श क–4
05.	फर्द कब्जा पुलिस	प्रदर्श क–5
06.	फर्द लेने कब्जे एक अदद मोबाइल	प्रदर्श क–6
07.	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट	प्रदर्श क–7
08.	रैफर स्लिप	प्रदर्श क–8
09.	आरोप पत्र	प्रदर्श क–9

8. बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों प्रदर्श–क–2 ता प्रदर्श–क–10 की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया है किन्तु इसका कोई लाभ अभियोजन पक्ष को तब तक प्राप्त नही हो सकता जब तक किसी तथ्य के साक्षी से अभियोजन कथानक की पुष्टि न हो। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियोजन कथानक की पुष्टि नही होती है।

9. अभियोजन द्वारा अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में कुल 03 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है।

10. अभियोजन द्वारा अपने केस को साबित करने हेतु बतौर साक्षी पी०डब्लू०–1 पूजा यादव को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि " दिनांक 09.10.2021 को समय करीब 12.15 बजे दोपहर में अपने बच्चे नीकू की दवा लेने आगरा रोड चुंगी पर अपने भाई अनुराग उर्फ गोलू के साथ गई थी। उसी समय उसके भाई के दोस्त कुणाल उर्फ आजाद का फोन उसके भाई के फोन पर आया उसने फोन से लालपुर मोहल्ले वाली गली में बुलाया। वह अपने 'भाई के साथ दवा लेकर वहां पहुँची तो कुणाल उर्फ आजाद ने उसके भाई को गाली गलौज करना शुरु कर दिया, वहां पर दो अज्ञात लोग मौजूद थे जिन्हें वह नहीं जानती। उसके भाई ने गाली देने से मना किया तो कुणाल उर्फ आजाद ने जान से मारने की नीयत से उसके भाई के ऊपर फायर किया जो पेंट की जेब में रखे मोबाईल में लगकर उसके भाई की बायी जांघ में लगा। अन्य दो अज्ञात लोगों को वह नहीं जानती थी वह लोग भी गालियां देते हुए भाग गए। वह अपने भाई को मोहल्ले वालों की मदद से जिला अस्पताल, एटा पहुँची। वहां से उसके भाई की हालत गंभीर देखते हुए उसे आगरा रैफर कर दिया गया। घटना की रिपोर्ट उसने अपने हस्तलेख में तैयार कर अपने हस्ताक्षर करके थाना को० नगर में जाकर दी और मुकदमा कायम कराया। साक्षी ने पत्रावली में उपलब्ध कागज सं०–4 अ देखकर व पढ़कर उसके मजमून व अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। उसने विवेचक को घटनास्थल का मौका मुआयना कराया था। विवेचक नें उसका व्यान लिया था, उक्त सभी बातें उसने विवेचक को बता दी थी।

11. अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कहा है कि " दरोगा जी को उसने अपने ब्यान में बताया था कि कुणाल के साथ जो अज्ञात लोग थे उनको वह नाम, पते से नहीं जानती। मुल्जिम सौरभ यादव हाजिर अदालत को देखकर साक्षी ने कहा कि यह मुल्जिम कुणाल के साथ उसके भाई को गोली मारने व गाली गलौज करने में नहीं था। उसके चुटैल भाई अनुराग भी उसे हाजिर अदालत मुल्जिम सौरभ यादव का नाम नहीं बताया था। हाजिर अदालत मुल्जिम सौरभ यादव ने उसके भाई को गाली गलौज नहीं किया था न ही गोली मारी थी और न ही ये मौके पर मौजूद था।

12. अभियोजन द्वारा बतौर साक्षी पी०डब्लू०–2 अनुराग यादव को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि " वह अपनी बहन पूजा यादव के साथ दिनांक 09.10.2021 को समय करीब 12.00–01.00 बजे भांजे निक्कू आगरा रोड चुंगी एटा पर दवा दिलाने के लिए गया हुआ था। उसी समय उसके दोस्त कुनाल उर्फ आजाद का फोन उसके फोन पर आया और उसने उसे लालपुर मोहल्ले वाली गली में बुलाया। जब वह अपनी बहन के साथ वहां पहुँचा तो कुनाल उर्फ आजाद ने उसे गाली गलौज करना शुरु कर दिया और कुनाल के मना करने के बाद अपनी जेब से तमंचा निकालकर उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। वहां

पर मौजूद दो अन्य व्यक्ति थे जिन्हें वह पहचान नहीं पाया था। कुनाल के द्वारा किए गए फायर से चोट उसकी जाँघ में लगी थी। वह चोट लगने से वहीं घायल होकर गिर गया था। पड़ोस व परिवार के लोग उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल एटा ले गए थे। वहां से हालत गंभीर देखते हुए उसे आगरा रेफर कर दिया गया था। वहां पर इलाज हुआ। फायर करने वालों में व गाली गलोज व मारपीट करने वालों में सौरभ यादव नहीं था। वह अज्ञात व्यक्ति को पहचान नहीं पाया था। इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही करने की मांग जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एटा द्वारा न्यायालय से की गई। जिसे स्वीकृत कर जिरह की अनुमति दी गई।

13. अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कहा है कि सौरभ यादव को वह घटना से पहले से जानता है। जब वह कुनाल के कहने पर पहुँचा तो उस समय सौरभ यादव वहां नहीं था। जब कुछ समय बाद उसका वाद विवाद हो रहा था, उस समय सौरभ यादव वहां आ गए थे। जब सौरभ यादव वहां आए थे उस समय वह नहीं देख पाया कि सौरभ यादव पर कोई हथियार है या नहीं। घटनास्थल पर कुल एक फायर हुआ था। वह फायर उसके जाँघ में लगा था। वह फायर लगने के बाद बेहोश हो गया था। उसे घटनास्थल से इलाज के लिए कौन ले गया था उसे नहीं मालूम। जब वह जिला अस्पताल एटा पहुंचा था, उस समय उसे होश आया था। उसका आगरा में इलाज चला था।साक्षी को उसका धारा 161 सी.आर.पी.सी. का ब्यान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि उसने फायर करने वालों में व मारपीट करने वालों में सौरभ यादव का नाम नहीं बताया था। सौरभ यादव का नाम पुलिस नें कैसे लिख दिया वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि उसने सौरभ यादव से आर्थिक लाभ लेकर आज न्यायालय में झूठा व्यान दे रहा है। यह कहना भी गलत है कि उसने अभियुक्त सौरभयादव से फैसला कर लिया हो और फैसला करने के बाद आज सही बात नहीं बता रहा है। यह कहना भी गलत है कि वह सौरभ यादव के डर के कारण आज न्यायालय में सही बात नहीं कह रहा है।

14. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कहा है कि यह बात सही है कि सौरभ यादव द्वारा मरे साथ न मारीपट की गई, न गाली गलोज की गई और न उसके द्वारा उसके ऊपर कोई फायर किया गया। वह इसे पहले से जानता है। उसने इसके खिलाफ पुलिस को कार्यवाही करने हेतु शिकायत नहीं की थी।

15. अभियोजन द्वारा बतौर साक्षी पी०डब्लू०–3 आदित्य कुमार को परीक्षित कराया गया है,जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि " दिनांक 09/10/2021 को वह अपने घर पर समय करीब 12.30 पर मौजूद था। जब अनुराग को गोली लगी तो वह लालपुर मोहल्ले वाली गली में नहीं था और न ही उसने किसी भी व्यक्ति को अनुराग से लड़ाई झगड़ा करते हुए और न ही उस पर गोली चलाते देखा। दरोगा जी ने एक कोरे कागज पर उसके हस्ताक्षर करा लिए थे। अगर दरोगा जी ने फर्द में उसके समक्ष एक मोबाईल बरामदगी की बात लिख दी है तो वह इसकी कोई वजह नहीं

बता सकता और न ही उसके सामने मोबाइल को सील किया गया था। घटना के समय अनुराग का घर उसके घर से करीब 200 मीटर दूर था। वह अभियुक्त सौरभ यादव को नहीं जानता है और न ही सौरभ यादव ने उसके सामने अनुराग यादव पर गोली चलाई। उसका नाम गवाही में कैसे लिखा दिया इसकी वह कोई वजह नहीं बता सकता। इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही करने की माँग की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एटा द्वारा न्यायालय से जिरह की मांग की गई जिसे स्वीकृत कर जिरह की अनुमति दी गई।

16. अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कहा है कि सौरभ यादव को वह न तो घटना के पहले से जानता है न तो अब जानता है। और न ही उसने सौरभ यादव को अनुराग पर गोली चलाते देखा। घटना के समय वह अपने घर पर था। हाजिर अदालत अभियुक्त सौरभ यादव को साक्षी ने देखकर कहा कि वह इसको नहीं जानता है। और न ही उसके सामने दरोगा जी ने घटना से संबंधित कोई मोबाइल बरामद किया था। उसके तो एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए थे। यह कहना गलत है कि उसने आज सौरभ यादव से आर्थिक लाभ लेकर न्यायालय में झूठा बयान दे रहा है। यह कहना भी गलत है कि वह सौरभ यादव के डर से आज न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है।

17. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताया है। मुकदमा पार्टीबन्दी के कारण चलना बताया, साक्षी पी०डब्लू–1 द्वारा दिये गये बयान को गलत बताया तथा फर्जी कार्यवाही करना बताया। सफाई देने से इंकार किया तथा पार्टीबंदी व गांव की रंजिश के कारण दरोगाजी से मिलकर विवेचना के दौरान गलत फंसाये जाने का कथन किया गया।

18. मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का गहनता से परिशीलन किया।

19. दाण्डिक न्यायशास्त्र के सुस्थापित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में, किसी भी आपराधिक विचारण में प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण प्रारंभिक प्रपत्र होता है, जो आपराधिक विधि की मशीनरी को गतिमान करता है। प्रस्तुत सत्र परीक्षण में, अभियोजन कथानक के अनुसार कथित घटना दिनांक 09–10–2021 को समय दोपहर लगभग 12–15 बजे घटित होना अभिकथित किया गया है। इस कथित घटना की लिखित सूचना, जिसे प्रदर्श क–1 के रूप में सिद्ध किया गया है, वादिया पूजा यादव द्वारा उसी दिन रात्रि बाइस बजकर एक मिनट (22:01 बजे) पर थाना कोतवाली नगर, जिला एटा में दी गई। इस प्रकार, घटना के घटित होने और उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के मध्य लगभग दस घंटे का विलंब स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। आपराधिक विधि का यह सुस्थापित विधिक सिद्धांत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के यथासंभव शीघ्र दर्ज कराई जानी चाहिए, ताकि उसमें विचार–विमर्श, कल्पित तथ्यों के समावेश

या निर्दोष व्यक्तियों को झूठा फंसाने की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में कोई असाधारण विलंब होता है, तो अभियोजन पक्ष का यह विधिक दायित्व है कि वह उस विलंब का संतोषजनक, युक्तिसंगत और स्वाभाविक स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। प्रस्तुत प्रकरण में, अभियोजन साक्ष्य के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि घटना में वादिया के भाई अनुराग उर्फ गोलू को बायीं जांघ में आग्नेयास्त्र से गंभीर चोट कारित हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप उसे तत्काल चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता थी। वादिया ने अपनी तहरीर एवं साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वह अपने चुटैल भाई को लोगों की सहायता से पहले जिला अस्पताल एटा ले गई, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे उच्च चिकित्सकीय उपचार हेतु आगरा के लिए संदर्भित कर दिया गया। मानवीय आचरण के सामान्य अनुक्रम में, किसी भी परिजन के लिए अपने गंभीर रूप से चुटैल पारिवारिक सदस्य के प्राणों की रक्षा करना और उसे त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराना प्राथमिक कर्तव्य होता है, न कि सर्वप्रथम पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराना। चिकित्सालय की भागदौड़, एटा से आगरा तक की यात्रा, और उस दौरान उत्पन्न मानसिक आघात एवं घबराहट की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, दस घंटे का यह विलंब स्वाभाविक और युक्तिसंगत प्रतीत होता है। अतः, इस न्यायालय के मत में केवल इस विलंब के आधार पर संपूर्ण अभियोजन कथानक को संदेहास्पद नहीं बनाया जा सकता है। यद्यपि यह विलंब क्षम्य है, परंतु इस विलंब के पश्चात दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क–2) का गहनता से परिशीलन करने पर अभियोजन पक्ष के लिए एक अत्यंत क्षीण और विघातक तथ्य उभर कर सामने आता है। दस घंटे के पर्याप्त समय के पश्चात, जब वादिया के पास घटना के तथ्यों और अभियुक्तों की पहचान के संबंध में विचार करने का पर्याप्त अवसर था, तब भी उसने अपनी लिखित तहरीर (प्रदर्श क–1) में वर्तमान विचारणाधीन अभियुक्त सौरभ यादव का नाम कहीं भी उल्लिखित नहीं किया है। वादिया ने स्पष्ट रूप से मुख्य हमलावर के रूप में कुनाल उर्फ आजाद और उसके साथ दो अज्ञात व्यक्तियों का उल्लेख किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त सौरभ यादव के नाम का पूर्ण अभाव, अभियोजन के इस कथानक को अत्यंत संदेहास्पद बनाता है कि अभियुक्त सौरभ यादव घटनास्थल पर उपस्थित था या उसने अपराध कारित करने में कोई भूमिका निभाई थी। यह तथ्य विवेचना के दौरान अभियुक्त के बाद में किए गए दोषारोपण की सत्यता पर गंभीर विधिक प्रश्नचिह्न स्थापित करता है।

20. अब यह न्यायालय अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का साक्षीवार एवं समग्र रूप से अत्यंत सूक्ष्म, विस्तृत और गहन विश्लेषण करेगा, क्योंकि किसी भी दाण्डिक विचारण का निष्कर्ष साक्ष्यों की विश्वसनीयता और ग्राह्यता पर ही निर्भर करता है। अभियोजन पक्ष ने अपने कथानक को संदेह से परे सिद्ध करने के विधिक भार का निर्वहन करने हेतु कुल तीन साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया है। सर्वप्रथम, अभियोजन पक्ष ने पी०डब्लू०–1

वादिया पूजा यादव को प्रस्तुत किया है, जो घटना की चक्षुदर्शी साक्षी और चुटैल की सगी बहन है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए यह कथन किया है कि "दिनांक 09.10.2021 को समय करीब 12.15 बजे दोपहर में अपने बच्चे नीकू की दवा लेने आगरा रोड चुंगी पर अपने भाई अनुराग उर्फ गोलू के साथ गई थी"। उसने आगे यह भी कथन किया है कि "उसके भाई के दोस्त कुणाल उर्फ आजाद का फोन उसके भाई के फोन पर आया उसने फोन से लालपुर मोहल्ले वाली गली में बुलाया... कुणाल उर्फ आजाद ने उसके भाई को गाली गलौज करना शुरु कर दिया... कुणाल उर्फ आजाद ने जान से मारने की नीयत से उसके भाई के ऊपर फायर किया जो पेंट की जेब में रखे मोबाईल में लगकर उसके भाई की बायी जांघ में लगा"। इस साक्षी ने घटना स्थल पर दो अज्ञात लोगों की उपस्थिति का भी कथन किया है जिन्हें वह नहीं जानती थी। यद्यपि मुख्य परीक्षा में उसने कुनाल की भूमिका का वर्णन किया, परंतु अभियोजन पक्ष के लिए अत्यंत विघातक स्थिति तब उत्पन्न हुई जब अभियोजन पक्ष द्वारा ही इस साक्षी से जिरह की गई। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किए जाने पर, इस अति महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त सौरभ यादव को देखकर स्पष्ट, निर्विवाद और असंदिग्ध शब्दों में यह कथन किया कि "यह मुल्जिम कुणाल के साथ उसके भाई को गोली मारने व गाली गलौज करने में नहीं था"। उसने आगे यह भी स्पष्ट किया कि "उसके चुटैल भाई अनुराग नें भी उसे हाजिर अदालत मुल्जिम सौरभ यादव का नाम नहीं बताया था"। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य को पूर्णतः स्पष्ट करते हुए यह अंतिम निष्कर्ष दिया कि "हाजिर अदालत मुल्जिम सौरभ यादव ने उसके भाई को गाली गलौज नहीं किया था न ही गोली मारी थी और न ही ये मौके पर मौजूद था"। यह साक्ष्य अभियोजन कथानक के मूल आधार को ही समूल नष्ट कर देता है। जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाली और स्वयं को चक्षुदर्शी बताने वाली साक्षी ही न्यायालय में शपथपूर्वक यह कथन कर दे कि विचारणाधीन अभियुक्त न तो घटनास्थल पर उपस्थित था, न ही उसने कोई गोली चलाई और न ही कोई गाली–गलौज की, तो ऐसे में अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी विधिक आरोप टिक नहीं सकता। साक्षी का यह स्पष्टीकरण कि अभियुक्त सौरभ यादव पूर्णतः निर्दोष है और घटना में सम्मिलित नहीं था, अभियोजन पक्ष के मामले को अत्यंत संदेहास्पद बनाता है और अभियुक्त को दोषमुक्त करने का एक अत्यंत प्रबल आधार प्रस्तुत करता है। अभियोजन पक्ष ने पी०डब्लू०–2 के रूप में स्वयं चुटैल व्यक्ति अनुराग यादव को परीक्षित कराया है। दाण्डिक न्यायशास्त्र में एक चुटैल साक्षी के साक्ष्य को अत्यंत उच्च विश्वसनीयता की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि उसके शरीर पर विद्यमान चोटें घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति का अकाट्य प्रमाण होती हैं, और सामान्यतः यह उपधारणा की जाती है कि एक चुटैल व्यक्ति अपने वास्तविक हमलावर को छोड़कर किसी निर्दोष व्यक्ति को नहीं फंसाएगा। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि वह अपनी बहन के साथ दवा लेने गया था, कुनाल का फोन आया, वह लालपुर मोहल्ले की गली में गया जहाँ कुनाल ने उसे गाली दी और तमंचे से फायर किया जो उसकी जांघ में लगा। उसने भी मौके पर दो

अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति का उल्लेख किया जिन्हें वह पहचान नहीं पाया। परंतु, इसी साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही यह स्पष्ट रूप से कथन कर दिया कि "फायर करने वालों में व गाली गलौज व मारपीट करने वालों में सौरभ यादव नहीं था"। इस स्पष्ट इंकार के पश्चात अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कराकर उससे जिरह की गई। जिरह के दौरान भी यह साक्षी अपने इस कथन पर अडिग रहा कि घटना के समय अभियुक्त सौरभ यादव ने उसके साथ कोई अपराध कारित नहीं किया। उसने यह अवश्य कथन किया कि जब वाद–विवाद हो रहा था तब सौरभ यादव वहां आ गए थे, परंतु उसने तत्काल यह भी स्पष्ट किया कि "जब सौरभ यादव वहां आए थे उस समय वह नहीं देख पाया कि सौरभ यादव पर कोई हथियार है या नहीं"। उसने यह भी दृढ़तापूर्वक कथन किया कि "घटनास्थल पर कुल एक फायर हुआ था... वह फायर उसके जाँघ में लगा था" और यह फायर कुनाल द्वारा किया गया था। जब इस साक्षी को पुलिस द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किया गया उसका कथित बयान पढ़कर सुनाया गया, तो उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि "उसने फायर करने वालों में व मारपीट करने वालों में सौरभ यादव का नाम नहीं बताया था... सौरभ यादव का नाम पुलिस नें कैसे लिख दिया वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकता"। बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में इस चुटैल साक्षी ने पुनः इस तथ्य की पुष्टि की और यह कथन किया कि "यह बात सही है कि सौरभ यादव द्वारा मेरे साथ न मारीपट की गई, न गाली गलोज की गई और न उसके द्वारा उसके ऊपर कोई फायर किया गया"। जब मुख्य चुटैल साक्षी ही अभियुक्त के विरुद्ध किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य का स्पष्ट रूप से खंडन कर रहा है और पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अपने ही पूर्व बयानों को मनगढ़ंत बता रहा है, तो इस साक्ष्य के आधार पर किसी भी अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष ने पी०डब्लू०–3 आदित्य कुमार को घटना के पश्चात की गई पुलिस कार्यवाही और बरामदगी सिद्ध करने के उद्देश्य से परीक्षित कराया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि जब अनुराग को गोली लगी तो वह लालपुर मोहल्ले वाली गली में नहीं था और न ही उसने किसी को लड़ाई–झगड़ा करते या गोली चलाते देखा। इस साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रलेखीय साक्ष्य, विशेषकर बरामदगी से संबंधित प्रपत्रों (प्रदर्श क–5 व क–6) की सत्यता को पूर्णतः नष्ट करते हुए यह गंभीर कथन किया है कि "दरोगा जी ने एक कोरे कागज पर उसके हस्ताक्षर करा लिए थे... न ही उसके सामने मोबाइल को सील किया गया था"। उसने यह भी स्पष्ट किया कि वह अभियुक्त सौरभ यादव को नहीं जानता है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर जिरह किए जाने पर भी यह साक्षी अपनी बात पर कायम रहा और उसने कथन किया कि उसके सामने दरोगा जी ने कोई मोबाइल बरामद नहीं किया था। इस साक्षी का साक्ष्य यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि विवेचक द्वारा की गई विवेचना की कार्यवाही अत्यंत दोषपूर्ण, संदेहास्पद और संभवतः फर्जी है। कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराकर बरामदगी के प्रपत्र तैयार करना पुलिस विवेचना की निष्पक्षता पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है और संपूर्ण अभियोजन

कथानक को क्षीण कर देता है। इन सभी साक्षियों के साक्ष्य का समग्र रूप से मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त सौरभ यादव के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है। वादिया (पी०डब्लू०–1) और चुटैल (पी०डब्लू०–2), जो इस प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण साक्षी हैं, दोनों ने ही अभियुक्त सौरभ यादव को निर्दोष बताया है और यह सिद्ध किया है कि उसने न तो कोई गोली चलाई, न गाली–गलौज की और न ही वह घटना में सम्मिलित था। स्वतंत्र साक्षी (पी०डब्लू०–3) ने पुलिस की बरामदगी की कार्यवाही को फर्जी सिद्ध कर दिया है। बचाव पक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त को पार्टीबंदी और गांव की रंजिश के कारण दरोगा जी से मिलकर विवेचना के दौरान गलत फंसाया गया है। यह बचाव पूर्णतः तार्किक, स्वाभाविक और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों द्वारा पुष्ट प्रतीत होता है, क्योंकि जब वादिया और चुटैल दोनों पुलिस को अभियुक्त का नाम बताने से इंकार कर रहे हैं, तो विवेचक द्वारा स्वयं आरोप पत्र में उसका नाम सम्मिलित करना पुलिस की दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही को ही प्रदर्शित करता है। अतः, अभियोजन साक्ष्य समग्र रूप से अत्यंत क्षीण, असंगत, अंतर्विरोधों से भरा हुआ और अविश्वसनीय है, जिसके आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि विधिक रूप से असंभव है।

21. घटना की तिथि और समय का निर्धारण आपराधिक विचारण में अत्यंत आवश्यक होता है। यद्यपि इस प्रकरण में साक्षियों ने अभियुक्त सौरभ यादव की भूमिका को पूर्णतः नकार दिया है, परंतु घटना के घटित होने के समय और तिथि के संबंध में उनके साक्ष्य में एकरूपता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क–2) और तहरीर (प्रदर्श क–1) के अनुसार घटना दिनांक नौ अक्टूबर वर्ष दो हजार इक्कीस को दोपहर लगभग बारह बजकर पंद्रह मिनट (12:15 PM) पर घटित हुई। पी०डब्लू०–1 पूजा यादव ने अपने शपथित साक्ष्य में यह कथन किया है कि वह दिनांक 09.10.2021 को दोपहर करीब 12.15 बजे अपने भाई के साथ गई थी। इसी प्रकार, पी०डब्लू०–2 अनुराग यादव ने भी यह कथन किया है कि दिनांक 09.10.2021 को समय करीब 12.00–01.00 बजे के मध्य वह आगरा रोड चुंगी पर था और उसी समय उसे फोन आया। चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श क–7) भी इसी समय के आस–पास चोट कारित होने की संभावना को संदेहास्पद नहीं बनाती है। बचाव पक्ष द्वारा भी घटना की इस तिथि और समय का कोई विशेष विधिक खंडन नहीं किया गया है, उनका मुख्य बचाव केवल अभियुक्त की संलिप्तता से इंकार करना है। अतः, पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्यों, विशेषकर पी०डब्लू०–1 एवं पी०डब्लू०–2 के कथनों एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर यह न्यायालय इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है कि घटना दिनांक 09–10–2021 को दोपहर लगभग 12:15 बजे के आस–पास ही घटित हुई थी।

22. घटना स्थल का निर्धारण भी अभियोजन कथानक का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रस्तुत प्रकरण में, अभियोजन पक्ष का यह निश्चित कथानक है कि अपराध लालपुर मोहल्ले वाली गली, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा में कारित किया गया। इस तथ्य की पुष्टि पी०डब्लू०–1 पूजा यादव के इस कथन से होती है कि कुनाल ने फोन करके उसके भाई को "लालपुर मोहल्ले वाली गली में बुलाया" और वहीं जाकर घटना घटित हुई। पी०डब्लू०–2 अनुराग यादव ने भी इसी तथ्य का समर्थन करते हुए कथन किया है कि वह कुनाल के बुलाने पर "लालपुर मोहल्ले वाली गली में पहुँचा" जहाँ उस पर तमंचे से फायर किया गया। विवेचक द्वारा भी इसी स्थान का निरीक्षण कर नक्शा नजरी (प्रदर्श क–4) तैयार किया गया है। पी०डब्लू०–3 आदित्य कुमार, यद्यपि उसने घटना देखने से इंकार किया, परंतु उसने यह अवश्य कथन किया कि वह लालपुर मोहल्ले वाली गली में नहीं था, जो परोक्ष रूप से घटना स्थल की भौगोलिक स्थिति की पुष्टि करता है। इन सभी साक्षियों के सुसंगत कथनों और प्रलेखीय साक्ष्य के अवलोकन से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि कथित घटना लालपुर मोहल्ले वाली गली में ही कारित हुई थी।

23. किसी भी दाण्डिक प्रकरण में अपराध कारित किए जाने के समय अपराध स्थल पर अभियुक्त और चुटैल/मृतक की भौतिक उपस्थिति सिद्ध करना अभियोजन का प्राथमिक विधिक दायित्व है। प्रस्तुत प्रकरण में, साक्ष्यों के विश्लेषण से चुटैल अनुराग यादव (पी०डब्लू०–2) और वादिया पूजा यादव (पी०डब्लू०–1) की घटनास्थल पर उपस्थिति पूर्णतः प्रमाणित होती है, क्योंकि उनके स्वयं के कथनों और चुटैल की चिकित्सकीय रिपोर्ट से यह निर्विवाद है कि वे वहां उपस्थित थे। परंतु, जहाँ तक अभियुक्त सौरभ यादव की उपस्थिति का प्रश्न है, अभियोजन पक्ष का साक्ष्य पूर्णतः विरोधाभासी और विघातक है। पी०डब्लू०–1 पूजा यादव ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि "हाजिर अदालत मुल्जिम सौरभ यादव... मौके पर मौजूद था" यह बात पूर्णतः गलत है, अर्थात् वह मौके पर उपस्थित नहीं था। पी०डब्लू०–2 अनुराग यादव ने यद्यपि जिरह में यह कहा कि "जब कुछ समय बाद उसका वाद विवाद हो रहा था, उस समय सौरभ यादव वहां आ गए थे," परंतु उसने तत्काल यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसने सौरभ पर कोई हथियार नहीं देखा और न ही सौरभ ने कोई फायर किया। मुख्य परीक्षा में पी०डब्लू०–2 ने स्पष्ट रूप से अज्ञात व्यक्तियों की उपस्थिति बताई थी, सौरभ की नहीं। जब चक्षुदर्शी साक्षी ही अभियुक्त की उपस्थिति से पूर्णतः इंकार कर रही है और चुटैल साक्षी भी उसके द्वारा कोई कृत्य करने से इंकार कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में घटनास्थल पर अपराध कारित करने के उद्देश्य से अभियुक्त सौरभ यादव की उपस्थिति किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं मानी जा सकती है। यह अभियोजन कथानक की सबसे बड़ी विफलता है।

24. अपराध में प्रयुक्त किसी वस्तु, सामग्री या हथियार की बरामदगी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संपोषक साक्ष्य होती है। प्रस्तुत प्रकरण में, अभियोजन पक्ष ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि एक अदद मोबाइल फोन (जो कथित रूप से चुटैल की पैंट की जेब में था और जिस पर गोली लगी थी) को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया था। इस बरामदगी को सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने फर्द कब्जा पुलिस (प्रदर्श क–5) और फर्द लेने कब्जे एक अदद मोबाइल (प्रदर्श क–6) न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं। इन प्रपत्रों को प्रमाणित करने के लिए स्वतंत्र साक्षी पी०डब्लू०–3 आदित्य कुमार को प्रस्तुत किया गया। परंतु, इस साक्षी ने न्यायालय में शपथपूर्वक यह कथन किया है कि "दरोगा जी ने एक कोरे कागज पर उसके हस्ताक्षर करा लिए थे... न ही उसके सामने मोबाइल को सील किया गया था"। जब बरामदगी का स्वतंत्र साक्षी ही यह कथन कर दे कि पुलिस ने कोरे कागजों पर उसके हस्ताक्षर कराए थे और उसके समक्ष कोई वस्तु बरामद नहीं हुई, तो ऐसे में पुलिस द्वारा तैयार किए गए जब्ती प्रपत्र अपनी समस्त विधिक मान्यता और विश्वसनीयता खो देते हैं। इस फर्जी प्रतीत होने वाली बरामदगी का विधिक प्रभाव यह है कि यह अभियोजन कथानक का समर्थन करने के स्थान पर उसे अत्यंत संदेहास्पद बनाता है और पुलिस विवेचना की निष्पक्षता को क्षीण कर देता है। अतः यह बरामदगी अभियोजन साक्ष्य को कोई बल प्रदान नहीं करती है।

25. किसी भी आपराधिक प्रकरण में जहाँ शारीरिक चोट कारित की गई हो, वहां चिकित्सकीय और फोरेंसिक साक्ष्य का अत्यधिक महत्व होता है। यह साक्ष्य चक्षुदर्शी साक्षियों के मौखिक साक्ष्य की वैज्ञानिक पुष्टि करता है। प्रस्तुत प्रकरण में, अभियोजन पक्ष द्वारा चुटैल अनुराग यादव की चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श क–7) और रैफर स्लिप (प्रदर्श क–8) न्यायालय के समक्ष दाखिल की गई है। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श क–7) के अवलोकन से निम्नलिखित चोट का विवरण प्राप्त होता है: बांयी जांघ में आग्नेयास्त्र से कारित चोट। यह चिकित्सकीय साक्ष्य यह सिद्ध करता है कि चुटैल को एक आग्नेयास्त्र (फायरआर्म) से चोट कारित हुई थी। यह तथ्य पी०डब्लू०–1 और पी०डब्लू०–2 के मौखिक साक्ष्य से मेल खाता है कि गोली चली थी जो जांघ में लगी थी। परंतु, चिकित्सकीय साक्ष्य की सीमा केवल इतनी है कि वह चोट की प्रकृति, प्रयुक्त हथियार का प्रकार और चोट कारित होने के संभावित समय को बता सकता है। चिकित्सकीय साक्ष्य यह कदापि सिद्ध नहीं कर सकता कि वह चोट किस विशिष्ट व्यक्ति द्वारा कारित की गई है। चूंकि पी०डब्लू०–1 और पी०डब्लू०–2 ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त सौरभ यादव ने कोई गोली नहीं चलाई, इसलिए यह चिकित्सकीय साक्ष्य केवल अपराध घटित होने की पुष्टि करता है, परंतु यह किसी भी रूप में अभियुक्त सौरभ यादव को उस अपराध से नहीं जोड़ता है। अतः चिकित्सकीय साक्ष्य अभियोजन पक्ष को अभियुक्त सौरभ यादव के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में कोई सहायता प्रदान नहीं करता है।

26. दाण्डिक विधि का यह आधारभूत सिद्धांत है कि अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह अकाट्य रूप से सिद्ध करना होता है कि चुटैल को कारित चोटें प्रत्यक्ष रूप से अभियुक्त के ही आपराधिक कृत्य का परिणाम हैं। कारित चोट और अभियुक्त के कृत्य के मध्य एक स्पष्ट, अटूट और विधिक रूप से ग्राह्य साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित संबंध होना अनिवार्य है। प्रस्तुत प्रकरण में, इस संबंध का पूर्णतः अभाव है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राह्य साक्ष्यों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि पी०डब्लू०–1 (वादिया) ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि "हाजिर अदालत मुल्जिम सौरभ यादव ने उसके भाई को... गोली मारी थी और न ही ये मौके पर मौजूद था"। इसी प्रकार, पी०डब्लू०–2 (चुटैल स्वयं) ने भी यह दृढ़तापूर्वक कथन किया है कि "फायर करने वालों में... सौरभ यादव नहीं था" और जिरह में पुनः स्पष्ट किया कि "सौरभ यादव द्वारा... न उसके द्वारा उसके ऊपर कोई फायर किया गया"। जब वे साक्षी, जो घटना के समय उपस्थित थे और जिनमें से एक ने स्वयं चोट सही है, यह स्पष्ट रूप से गवाही दे रहे हैं कि अभियुक्त ने कोई हथियार नहीं चलाया और कोई चोट कारित नहीं की, तो कारित चोट और अभियुक्त के मध्य कोई भी विधिक संबंध स्थापित नहीं होता है। अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई भी प्रत्यक्ष, पारिस्थितिक या वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो इस तथ्य को सिद्ध कर सके कि अनुराग यादव की बायीं जांघ में लगी गोली अभियुक्त सौरभ यादव द्वारा चलाए गए हथियार से ही निकली थी। जब यह मूल तथ्य ही साक्ष्यों द्वारा खंडित हो गया है, तो चोट और अभियुक्त के मध्य संबंध स्थापित होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। बिना इस विधिक संबंध के, अभियुक्त को किसी भी आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

27. दाण्डिक न्याय प्रशासन में किसी अपराध के पीछे के हेतुक का विश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, विशेषकर उन प्रकरणों में जहाँ साक्ष्य परिस्थितिजन्य हो या जहाँ चक्षुदर्शी साक्षियों की विश्वसनीयता संदेहास्पद हो। यद्यपि यह सत्य है कि यदि चक्षुदर्शी साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय और सत्य प्रतीत होता है, तो हेतुक का सिद्ध न होना अभियोजन कथानक को क्षीण नहीं करता है, परंतु प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन का मौखिक साक्ष्य अपने ही कथानक के विरुद्ध हो गया है। संपूर्ण पत्रावली और अभियोजन साक्षियों (पी०डब्लू०–1 और पी०डब्लू०–2) के कथनों का सूक्ष्मता से परिशीलन करने पर यह ज्ञात होता है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त सौरभ यादव और चुटैल या उसके परिवार के मध्य किसी भी पूर्व रंजिश, संपत्ति विवाद, धन के लेन–देन या किसी अन्य प्रकार के मनमुटाव का कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क–1) में भी केवल कुनाल का उल्लेख है, सौरभ के किसी हेतुक का कोई वर्णन नहीं है। इसके विपरीत, अभियुक्त सौरभ यादव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दिए गए अपने बयान में यह बचाव लिया है कि "पार्टीबंदी व गांव की रंजिश के कारण दरोगाजी से मिलकर विवेचना के दौरान गलत फंसाये जाने का कथन किया गया"। अभियोजन पक्ष

की ओर से हेतुक का पूर्ण अभाव और बचाव पक्ष द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाए जाने का तर्क/कथन, अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता को आधारहीन बना देता है। जब अभियुक्त का अपराध कारित करने का कोई कारण ही सिद्ध नहीं है और साक्षी भी उसे निर्दोष बता रहे हैं, तो उसका अपराध में संलिप्त होना नितांत अस्वाभाविक प्रतीत होता है।

28. किसी भी गंभीर दाण्डिक अपराध, जैसे कि हत्या का प्रयास (धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता), को गठित करने के लिए केवल आपराधिक कृत्य का होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उस कृत्य के साथ एक विशिष्ट दुराशय या आपराधिक आशय का होना भी नितांत आवश्यक है। आशय मनुष्य के मस्तिष्क की एक आंतरिक स्थिति है जिसे उसके बाहरी आचरण, प्रयुक्त हथियार की प्रकृति, कारित चोट की प्रकृति और घटना की परिस्थितियों से अनुमानित किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में, अभियोजन पक्ष का यह आरोप है कि अभियुक्त ने जान से मारने की नीयत से फायर किया। परंतु, न्यायालय के समक्ष उपस्थित साक्ष्यों का मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि पी०डब्लू०–1 और पी०डब्लू०–2 दोनों ने ही स्पष्ट शब्दों में यह कथन किया है कि अभियुक्त सौरभ यादव ने कोई फायर नहीं किया, कोई गाली–गलौज नहीं की और कोई मारपीट नहीं की। जब अभियुक्त द्वारा कोई भौतिक कृत्य ही नहीं किया गया है, तो किसी आपराधिक आशय या दुराशय के विद्यमान होने का प्रश्न ही विधिक रूप से उत्पन्न नहीं होता। आशय का अनुमान किसी कृत्य से लगाया जाता है, और कृत्य के पूर्ण अभाव में आपराधिक आशय को सिद्ध मानना विधिक रूप से असंभव और अतार्किक है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के किसी भी आपराधिक आशय को सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है।

29. दाण्डिक विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि जब किसी प्रकरण में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न हो या वह पूर्णतः अविश्वसनीय हो जाए, तो अभियोजन पक्ष पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर अपना मामला सिद्ध कर सकता है। परंतु पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि के लिए यह अनिवार्य है कि परिस्थितियों की एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला स्थापित होनी चाहिए जो केवल और केवल अभियुक्त के अपराध की ओर ही इंगित करे और उसके निर्दोष होने की हर संभव परिकल्पना को पूर्णतः समाप्त कर दे। प्रस्तुत विचारण में, प्रत्यक्ष साक्ष्य (पी०डब्लू०–1 और पी०डब्लू०–2) ने अभियुक्त को पूर्णतः निर्दोष बताते हुए अभियोजन के मूल कथानक को ही क्षीण कर दिया है। इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष ने ऐसी कोई भी परिस्थिति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है जिससे एक श्रृंखला का निर्माण हो सके। न तो कोई पूर्व रंजिश सिद्ध हुई है, न ही घटना के तत्काल पूर्व या पश्चात अभियुक्त को घटनास्थल के आस–पास संदिग्ध अवस्था में देखे जाने का कोई साक्ष्य है। अभियोजन द्वारा एक मोबाइल फोन की बरामदगी दर्शाई गई थी, परंतु स्वतंत्र साक्षी पी०डब्लू०–3 द्वारा उसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर बताकर पूर्णतः संदेहास्पद बना दिया गया। इसके अतिरिक्त, उस मोबाइल की फोरेंसिक जांच या उससे अभियुक्त का कोई संबंध स्थापित

करने वाला कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः, इस प्रकरण में पारिस्थितिक साक्ष्य की कोई भी श्रृंखला निर्मित नहीं होती है। विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार, परिस्थितियों की एक अटूट श्रृंखला के अभाव में अभियुक्त को संदेह का लाभ प्राप्त होना उसका विधिक अधिकार है।

30. किसी भी दाण्डिक विचारण में साक्ष्यों के मूल्यांकन के पश्चात यह निर्धारित करना न्यायालय का परम कर्तव्य होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर कौन से विधिक और तात्विक तथ्य सिद्ध हुए हैं और कौन से तथ्य सिद्ध नहीं हुए हैं। इस विस्तृत विश्लेषण के लिए साक्ष्यों का अत्यंत गहराई से परीक्षण आवश्यक है। सर्वप्रथम, हम उन तथ्यों का विवेचन करेंगे जिन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के माध्यम से सिद्ध माना जा सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक और प्रलेखीय साक्ष्य के अवलोकन से यह तथ्य सिद्ध होता है कि दिनांक 09–10–2021 को वादिया पूजा यादव (पी०डब्लू०–1) का भाई अनुराग उर्फ गोलू (पी०डब्लू०–2) चुटैल हुआ था। इस तथ्य की पुष्टि दोनों साक्षियों के कथनों के साथ–साथ चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श क–7) से होती है, जिसमें उसकी बायीं जांघ में आग्नेयास्त्र से चोट होना दर्शित है। यह तथ्य भी सिद्ध होता है कि यह घटना लालपुर मोहल्ले वाली गली में समय लगभग 12:15 बजे दिन में घटित हुई थी, जैसा कि नक्शा नजरी (प्रदर्श क–4) और साक्षियों के बयानों से पुष्ट है। इसके अतिरिक्त, यह विधिक तथ्य भी सिद्ध है कि वादिया द्वारा घटना की एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क–2) विलंब से ही सही, परंतु संबंधित थाने में दर्ज कराई गई थी। केवल यही वे सीमित तथ्य हैं जो अभियोजन पक्ष सिद्ध करने में सफल रहा है। अब हम उन अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे जिन्हें अभियोजन पक्ष सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है, और जिनका सिद्ध न होना ही इस परीक्षण का मुख्य आधार है। अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है कि विचारणाधीन अभियुक्त सौरभ यादव घटना के समय और स्थान पर उपस्थित था। यह तथ्य पी०डब्लू०–1 के इस स्पष्ट कथन द्वारा विखंडित हो गया है कि अभियुक्त मौके पर मौजूद नहीं था। अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में सर्वथा विफल रहा है कि अभियुक्त सौरभ यादव ने अपने हाथ में कोई आग्नेयास्त्र (तमंचा) धारण किया हुआ था या उसने चुटैल अनुराग यादव पर जान से मारने की नीयत से कोई फायर किया। पी०डब्लू०–1 और पी०डब्लू०–2 दोनों ने ही अपनी (शपथित साक्ष्य) में यह असंदिग्ध रूप से कथन किया है कि अभियुक्त ने न तो गोली मारी और न ही कोई मारपीट की। अभियोजन पक्ष यह तथ्य भी सिद्ध नहीं कर पाया है कि अभियुक्त ने वादिया या चुटैल के साथ कोई गाली–गलौज की या लोकशांति भंग करने के आशय से कोई कृत्य किया, क्योंकि दोनों साक्षियों ने इस कृत्य से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। अभियोजन पक्ष इस तथ्य को भी सिद्ध करने में विफल रहा है कि अभियुक्त सौरभ यादव का कुनाल उर्फ आजाद या अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ कोई आपराधिक षड्यंत्र था या उनके मध्य घटना को कारित करने हेतु कोई पूर्व सहमति थी। षड्यंत्र का कोई भी प्रत्यक्ष या

पारिस्थितिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं कर सका कि घटना स्थल से या अभियुक्त के कब्जे से कोई आपत्तिजनक वस्तु या अपराध में प्रयुक्त सामग्री विधिक रूप से बरामद की गई। पी०डब्लू०–3 के इस कथन ने कि "दरोगा जी ने एक कोरे कागज पर उसके हस्ताक्षर करा लिए थे", संपूर्ण बरामदगी की कार्यवाही को अवैध और असिद्ध कर दिया है। इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध किसी भी प्रकार का हेतुक सिद्ध करने में असमर्थ रहा है। अभियोजन ने अपने आरोप पत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज बयानों का सहारा लिया था, परंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सुस्थापित विधिक सिद्धांतों के अनुसार, पुलिस के समक्ष दिए गए बयान सारभूत साक्ष्य नहीं होते हैं, उनका उपयोग केवल साक्षी के न्यायालय में दिए गए बयान का खंडन करने के लिए किया जा सकता है। जब साक्षियों ने न्यायालय में पुलिस को दिए गए अपने पूर्व बयानों (कि उन्होंने सौरभ का नाम लिया था) से स्पष्ट रूप से मुकरते हुए उन्हें गलत बताया है, तो वे कथित पुलिस बयान अभियुक्त के विरुद्ध किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए विधिक रूप से ग्राह्य नहीं हैं। इसके विपरीत, बचाव पक्ष द्वारा लिया गया यह तथ्य कि अभियुक्त को गांव की रंजिश और पुलिस की दुर्भावना के कारण झूठा फंसाया गया है, अभियोजन साक्ष्य की विफलता और प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त का नाम न होने के कारण अत्यंत प्रबल और तार्किक प्रतीत होता है। संक्षेप में, अभियोजन पक्ष ने केवल एक अपराध का घटित होना सिद्ध किया है, परंतु उस अपराध को कारित करने में विचारणाधीन अभियुक्त सौरभ यादव की किसी भी प्रकार की भूमिका या संलिप्तता को सिद्ध करने में वह विधिक और तथ्यात्मक रूप से पूर्णतः विफल रहा है।

31. अब यह न्यायालय अभियुक्त सौरभ यादव के विरुद्ध विरचित किए गए विशिष्ट आरोपों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के मध्य संबंध का अत्यंत सूक्ष्म और गहरा विधिक विश्लेषण करेगा। विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियुक्त सौरभ यादव के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), धारा 323 (स्वेच्छया उपहति कारित करना), धारा 504 (लोकशांति भंग कराने के आशय से साशय अपमान) तथा धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। सर्वप्रथम, धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप का विश्लेषण करते हैं। इस धारा के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होता है कि अभियुक्त ने कोई ऐसा कृत्य किया है जो मृत्यु कारित करने में सक्षम था और वह कृत्य हत्या करने के आशय या ज्ञान के साथ किया गया था। साक्ष्यों के मानचित्रण से स्पष्ट होता है कि अभियोजन का यह आरोप पी०डब्लू०–1 और पी०डब्लू०–2 के साक्ष्य के समक्ष ताश के पत्तों की भांति ढह जाता है। चक्षुदर्शी साक्षी पी०डब्लू०–1 ने न्यायालय में स्पष्ट रूप से कथन किया कि "हाजिर अदालत मुल्जिम सौरभ यादव ने उसके भाई को... गोली मारी थी और न ही ये मौके पर मौजूद था"। चुटैल पी०डब्लू०–2 ने भी कथन किया कि "फायर करने वालों में व गाली गलोज व मारपीट करने वालों में सौरभ यादव नहीं था"। जब अभियुक्त द्वारा कोई कृत्य (फायर करना) किया जाना

ही सिद्ध नहीं है, तो आशय या ज्ञान का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अतः धारा 307 का आरोप पूर्णतः निराधार और असिद्ध है। द्वितीय, धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप का विश्लेषण। यह धारा स्वेच्छया किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने को दंडनीय बनाती है। इसके लिए अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया चोट पहुंचाना सिद्ध होना चाहिए। पुनः, पी०डब्लू०–1 और पी०डब्लू०–2 के कथनों के अनुसार अभियुक्त ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की। अतः चोट कारित करने का विधिक तत्व पूर्णतः असिद्ध है और यह आरोप भी क्षीण हो जाता है। तृतीय, धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप का परीक्षण। इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति का साशय अपमान करना जिससे लोकशांति भंग होने की संभावना हो, आवश्यक है। अभियोजन का आरोप था कि अभियुक्त ने गाली–गलौज की। परंतु, पी०डब्लू०–1 ने स्पष्ट कथन किया कि "हाजिर अदालत मुल्जिम सौरभ यादव ने उसके भाई को गाली गलौज नहीं किया था"। पी०डब्लू०–2 ने भी इस तथ्य का समर्थन किया। इसलिए, अपमान कारित करने का कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है और यह आरोप भी सिद्ध नहीं होता। चतुर्थ, धारा 120बी भारतीय दण्ड संहिता (आपराधिक षड्यंत्र) का विश्लेषण। आपराधिक षड्यंत्र के विधिक गठन के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य किसी अवैध कृत्य को करने की सहमति होना नितांत आवश्यक है। अभियोजन साक्ष्य में कुनाल और अज्ञात व्यक्तियों का उल्लेख है, परंतु सौरभ यादव के साथ किसी भी प्रकार की पूर्व योजना, बातचीत या सहमति का लेशमात्र भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जब मुख्य अपराधों में ही अभियुक्त की संलिप्तता सिद्ध नहीं है और षड्यंत्र का कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है, तो धारा 120बी का आरोप स्वतः ही निरस्त हो जाता है। बचाव पक्ष का यह तर्क/कथन कि उसे रंजिश और पुलिस से मिलीभगत के कारण झूठा फंसाया गया है, इन परिस्थितियों में अत्यंत तार्किक और विधिक रूप से ग्राह्य प्रतीत होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क–1) में सौरभ का नाम नहीं था। बाद में पुलिस विवेचना के दौरान उसका नाम सम्मिलित किया गया, जिसे दोनों मुख्य साक्षियों (पी०डब्लू०–1 व 2) ने न्यायालय में पुलिस की मनगढ़ंत कहानी बताकर खारिज कर दिया। यह तथ्य बचाव पक्ष के तर्क को पूर्णतः पुष्ट करता है कि विवेचक ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से निर्दोष व्यक्ति को फंसाया है। न्यायालय के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सुस्थापित विधिक सिद्धांत यह है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करना होता है। प्रस्तुत प्रकरण में, अभियोजन साक्ष्य न केवल संदेह उत्पन्न करता है, अपितु अभियुक्त को पूर्णतः निर्दोष सिद्ध करता है। अतः सभी आरोप पूर्णतः असिद्ध पाए जाते हैं।

32. अभियोजन के मुख्य साक्षीगण, पी०डब्लू०–1 पूजा यादव (वादिया) और पी०डब्लू०–2 अनुराग यादव (चुटैल), जिनके कथित बयानों के आधार पर पुलिस ने यह दाण्डिक कार्यवाही आरंभ की थी, उन्होंने न्यायालय के समक्ष शपथ ग्रहण करने के पश्चात अभियोजन कथानक का पूर्णतः समर्थन करने से इंकार कर दिया और पक्षद्रोही हो गए। पी०डब्लू०–3 आदित्य कुमार ने भी पुलिस की कार्यवाही को झूठा बताया। इन साक्षियों के इस आचरण से दो ही निष्कर्ष निकलते हैं:

या तो उन्होंने विवेचना के दौरान पुलिस को जानबूझकर झूठी सूचना दी थी, या फिर वे न्यायालय के समक्ष शपथ पर जानबूझकर झूठा साक्ष्य दे रहे हैं अथवा झूठा साक्ष्य गढ़ रहे हैं, इस आशय के साथ कि उस साक्ष्य का उपयोग इस न्यायिक कार्यवाही में किया जाए। न्याय के हित में यह नितांत आवश्यक और समीचीन है कि ऐसे साक्षियों के विरुद्ध धारा 344 दं०प्र०स० के अंतर्गत कार्यवाही की जाए, क्योंकि न्यायालय का यह स्पष्ट मत है कि इन साक्षियों ने इस न्यायिक कार्यवाही में ज्ञानपूर्वक और जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दिया है।

33. उपरोक्त विस्तृत, गहन और विधिक विश्लेषण के आधार पर, यह न्यायालय निम्नलिखित अंतिम निष्कर्षों पर पहुंचता है कि धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में: चूंकि पी०डब्लू०–1 और पी०डब्लू०–2 (चक्षुदर्शी एवं चुटैल साक्षी) ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त ने कोई गोली नहीं चलाई, अतः हत्या के प्रयास का आरोप पूर्णतः असिद्ध है। धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में: साक्षियों द्वारा अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार की मारपीट से स्पष्ट इंकार करने के कारण, यह आरोप भी पूर्णतः असिद्ध है। धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में: साक्षियों ने अभियुक्त द्वारा गाली–गलौज करने से स्पष्ट इंकार किया है, अतः साशय अपमान का यह आरोप असिद्ध है। धारा 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के संबंध में: आपराधिक षड्यंत्र का कोई भी विधिक साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध न होने के कारण, यह आरोप भी असिद्ध है। अभियुक्तवार निष्कर्ष: विचारणाधीन अभियुक्त सौरभ यादव के विरुद्ध विरचित किए गए समस्त आरोप (धारा 307, 323, 504 और 120 बी भारतीय दण्ड संहिता) अभियोजन पक्ष द्वारा संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है। अभियोजन का मामला पूर्ण रूप से साक्ष्यहीन और आधारहीन सिद्ध हुआ है। दायित्व कथन: पूर्वोक्त विवेचन, सूक्ष्म विश्लेषण और दर्ज किए गए निष्कर्षों के आधार पर, अभियुक्त सौरभ यादव अपने विरुद्ध विरचित समस्त आरोपों का दोषी नहीं पाया जाता है तथा वह धारा 307, 323, 504 व 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से दोषमुक्त किए जाने का अधिकारी है।

<u>आदेश</u>

34. उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण एवं अभिलिखित निष्कर्षों के आधार पर, अभियुक्त सौरभ यादव पुत्र सतेन्द्र सिंह निवासी नगला गलू थाना कोतवाली देहात, हाल निवासी लालपुर थाना कोतवाली नगर, जिला एटा को मु०अ०सं०–849/2021, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा से संबंधित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307, 323, 504 व 120 बी के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।
35. अभियुक्त जमानत पर है। उसके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।
36. अभियुक्त द्वारा इस दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील या अपील की अनुमति की याचिका प्रस्तुत होने की स्थिति में उच्चतर न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु

दं०प्र०स० की धारा 437ए के अनुपालन में इस न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभू प्रस्तुत कर दिये गये हैं।

37. इसके अतिरिक्त, जैसा कि प्रस्तर 32 में उल्लिखित है, इस न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1(पूजा यादव), पी०डब्लू०–2 (अनुराग यादव) एवं पी०डब्लू०–3 (आदित्य कुमार) ने न्यायिक कार्यवाही में जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दिया है। अतः इन साक्षियों के विरुद्ध धारा 344 दं०प्र०स० के अंतर्गत पृथक से वाद पंजीकृत किया जाए।

दिनांक: 02.04.2026

(मनीषा)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01,
एटा।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक: 02.04.2026

(मनीषा)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01,
एटा।